लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश
गौतम नगर भोपाल–462023

क्रमांक / अति. शि. / 2024–25 / 132 भोपाल, दिनांक 05.08.2024

प्रति

1. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण।
2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी म.प्र.।
3. समस्त विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी।
4. समस्त संकुल प्राचार्य हाई / हायर सेकेण्डरी स्कूल मध्यप्रदेश।

विषयः–शैक्षणिक सत्र 2024–25 में रिक्त पदो के विरूद्ध अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था के संबंध में।

संदर्भः– 1. संचालनालय का पत्र क्र. / 124 दिनांक 24.07.2024 ।
2. संचालनालय का पत्र क्र. / 2013 दिनांक 04.07.2019 ।

उपरोक्त संदर्भित पत्र–1 अनुसार शासकीय विद्यालयों मे शैक्षणिक सत्र 2024–25 हेतु शैक्षणिक व्यवस्था के सुचारू रूप से संचालन हेतु विद्यालय मे रिक्त पदों के विरूद्ध अतिथि शिक्षक आमंत्रण की कार्यवाही पूर्ण करने के निर्देश दिये गये है। पोर्टल मेटेनेंस के कारण उक्त तिथियों को परिवर्तित करते हुये निम्नानुसार समयसारणी अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए–

1. **संशोधित समय–सारणी–**

शैक्षणिक सत्र 2023–24 में जिन विद्यालयों में अतिथि शिक्षक को आमंत्रित किया गया है एवं पोर्टल पर रिक्त पद प्रदर्शित है, ऐसे विद्यालयों में GFMS पोर्टल पर ज्वॉइनिंग की प्रविष्टि हेतु की जाने वाली कार्यवाही–

क्र	गतिविधियाँ	समयसीमा
1	अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु GFMS पोर्टल पर रिक्तियों का प्रदर्शन।	06.08.2024
2	अतिथि शिक्षक द्वारा GFMS पोर्टल पर ज्वॉइनिंग दर्ज करना एवं शाला प्रभारी से प्राप्त सत्यापित ज्वॉइनिंग पत्रक की प्रति को पोर्टल पर अपलोड करना।	07.08.2024 से 12.08.2024
3	शाला प्रभारी GFMS पोर्टल पर ज्वॉइन किये अतिथि शिक्षक का प्रमाणीकरण करना।	07.08.2024 से 12.08.2024

2. ऐसे विद्यालय जहॉ नियमित शिक्षक पदस्थ होने के उपरांत भी सम्पूर्ण शैक्षणिक सत्र के लिये अनुपलब्ध है, ऐसे विद्यालयों हेतु नियमित शिक्षक के विरूद्ध रिक्ति अपडेशन हेतु GFMS पोर्टल पर की जाने वाली कार्यवाही हेतु समयसारणी–

क्र	गतिविधियाँ	समयसीमा
1	संकुल प्राचार्य द्वारा GFMS पोर्टल पर नियमित शिक्षक के अनुपलब्ध होने का कारण एवं आदेश की प्रति अपलोड करते हुये रिक्वेस्ट दर्ज करना।	07.08.2024 से 08.08.2024
2	संकुल प्राचार्य द्वारा प्रेषित की गई रिक्वेस्ट का परीक्षण उपरांत संचालनालय स्तर से अनुमोदन की कार्यवाही।	09.08.2024 से 10.08.2024
3	उक्त रिक्तियां यदि विगत वर्ष से निरन्तर है, तथा गतवर्ष किसी अतिथि शिक्षक को नियमानुसार रखा गया है, तो ऐसे अतिथि शिक्षक GFMS पोर्टल पर ज्वॉइनिंग दर्ज कर सकेगें, एवं शाला प्रभारी से प्राप्त सत्यापित ज्वॉइनिंग पत्रक की प्रति को पोर्टल पर अपलोड करना।	11.08.2024 से 13.08.2024
4	शाला प्रभारी GFMS पोर्टल पर ज्वॉइन किये अतिथि शिक्षक का प्रमाणीकरण करना।	11.08.2024 से 13.08.2024

शैक्षणिक सत्र 2024–25 हेतु अतिथि शिक्षक के आमंत्रण संबंध मे शेष निर्देश पूर्व मे जारी संदर्भित पत्र–1 अनुसार यथावत रहेगें।

उक्त निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित् करें।

(आयुक्त द्वारा अनुमोदित)

(के.के.द्विवेदी)
संचालक
लोक शिक्षण, म.प्र.

पृ.क्रमांक/अति. शि./2024–25/133 भोपाल, दिनांक 05.08.2024

प्रतिलिपिः–

1. निज सहायक, माननीय मंत्रीजी, स्कूल शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन।
2. सचिव, म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग।
3. संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल।
4. प्रबंध संचालक, एम.पी.एस.ई.डी.सी. आई. टी. भवन, अरेरा हिल्स भोपाल।
5. कलेक्टर समस्त जिले।
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत समस्त जिले।
7. समस्त शाला प्रभारी (शासकीय विद्यालय, स्कूल शिक्षा विभाग) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. श्री अंकुर दीक्षित टेक–लीड एम.पी.एस.ई.डी.सी. आई. टी. भवन, अरेरा हिल्स भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं पोर्टल पर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संचालक
लोक शिक्षण, म.प्र.